न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 46/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/233

अपीलान्ट्स

1. अमराराम पुत्र स्व0 बुद्धाराम,
2. भगाराम पुत्र स्व0 बींजाराम,
3. पुरखाराम पुत्र स्व0 लूम्बाराम,
4. दलाराम पुत्र स्व0 लूम्बाराम,
5. भलाराम पुत्र स्व0 लूम्बाराम,

सभी जाति पटेल, निवासी– ग्राम धांधिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. मूलाराम पुत्र स्व0 बींजाराम के कायम मुकाम :–
   1/1. श्रीमती पूनीदेवी पत्नी स्व0 मूलाराम
   1/2. वेनाराम पुत्र स्व0 मूलाराम
   1/3. गोविन्दराम पुत्र स्व0 मूलाराम
   1/4. श्रीमती प्रेमीदेवी पुत्री स्व0 मूलाराम
   1/5. श्रीमती मंजूदेवी पुत्री स्व0 मूलाराम
2. डूंगरराम पुत्र स्व0 बुद्धाराम,

   जातियान पटेल, निवासीगण – ग्राम धांधिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

परफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स

4. श्रीमती एजी पत्नी सोनाराम, जाति पटेल, निवासी– गांव सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
5. श्रीमती पचाती पत्नी सुजाराम, जाति पटेल, निवासी– गांव निम्बली, तहसील रोहट, जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

6. स्व0 श्रीमती कमली पत्नी आसुराम के कायम मुकामान्–

6/1. मदनलाल पुत्र आसुराम,

6/2. सोहनलाल पुत्र आसुराम,

दोनो जाति पटेल, निवासी– गांव राजोर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

6/3. श्रीमती मोहिनी पत्नी तेजाराम पुत्री आसुराम

जाति पटेल, निवासी– गांव सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

7. श्रीमती शांति पत्नी भलाराम, जाति पटेल, निवासी– गांव शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
8. श्रीमती झमकु पत्नी भंवरलाल, जाति पटेल, निवासी– गांव सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
9. श्रीमती चुका पत्नी केवलराम, जाति पटेल, निवासी– गांव रामपुरा, तहसील रोहट, जिला जोधपुर।
10. श्रीमती रूकमणी पत्नी रूपाराम, जाति पटेल, निवासी– गांव रामपुरा, तहसील रोहट, जिला जोधपुर।
11. श्रीमती मथुरा पत्नी रामाराम, जाति पटेल, निवासी– गांव सरेचां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
12. श्रीमती धर्मीदेवी पत्नी अमराराम, जाति पटेल, निवासी– गांव निम्बली, तहसील रोहट, जिला पाली।
13. श्रीमती लहरी पत्नी पोलाराम, जाति पटेल, निवासी– गांव मोगड़ा कल्ला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
14. पप्पाराम पुत्र पोलाराम, जाति पटेल, निवासी– गांव सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
15. श्रीमती चुकीदेवी पत्नी भगाराम, जाति पटेल, निवासी– गांव सरेचां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बरखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 29.09.1972 जो तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया जाकर ग्राम धांधिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खेत खसरा संख्या 227 रकबा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

28 बीघा 10 बिस्वा एवं खेत खसरा संख्या 69 रकबा 94 बीघा 12 बिस्वा का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम बंटवाड़ा के आधार पर गलत रूप से भरा गया।

उपस्थिति :

1. अधिवक्ता श्री अनिल राठी (अपीलान्ट संख्या 1 से 5 ओर से उपस्थित)
2. अधिवक्ता श्री अभिजीत शर्मा (रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से उपस्थित)
3. अधिवक्ता श्री धनराज चौधरी (रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से उपस्थित)

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) • जोधपुर •

–: आदेश :– दिनांक 23.09.2025

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 29.09.1972 जो तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया जाकर ग्राम धांधिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खेत खसरा संख्या 227 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा एवं खेत खसरा संख्या 69 रकबा 94 बीघा 12 बिस्वा का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम बंटवाड़ा के आधार पर भरा गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 04.07.2018 को पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है।
2. प्रकरण अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अंपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल राठी, प्रत्यर्थी सं. 1/1 से 1/5 की ओर से श्री अभिजित शर्मा व प्रत्यर्थी सं. 02 की ओर से श्री धनराज चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23.09.2025 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रफोर्मा रेस्पो. सं. 04 से 15 के खिलाफ किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाहने बाबत निवेदन किया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं इनके नोटिस तामिली की आवश्यकता नहीं है।
3. अपील मीमों में अंकित विवरण अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं परफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 15 आपस में रिश्तेदार है। एक ही परिवार के सदस्य है और स्वर्गीय लाबूजी पुत्र सरूप जी के वारिसान व उत्तराधिकारी है। स्वर्गीय लाबूजी के तीन पुत्र स्वर्गीय बींजाराम, स्वर्गीय

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बुद्धाराम एवं स्वर्गीय लुम्बाराम एवं तीन पुत्रिया श्रीमती रूकमणी, स्वर्गीय श्रीमती जमना, स्वर्गीय श्रीमती मथुरा हुए।

अपीलान्ट के दादा स्वर्गीय लाबू पुत्र सरूप जी के खातेदारी व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 227 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा ग्राम धांधिया तहसील लूणी एवं आधे हिस्से की संयुक्त खातेदारी की एक कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 69 रकबा 94 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम धांधिया (वर्तमान में विष्णु की ढाणी) तहसील लूणी में आई हुई है। अपीलार्थीगण के दादा स्व0 लाबूजी उक्त कृषि भूमियों के एकमात्र खातेदार व काश्तकार थे। अपीलार्थीगण के दादा स्व0 लाबूजी का देहान्त होने पर उक्त आराजी पर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण को उक्त आराजी का उत्तराधिकारी होने पर उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई। अपीलार्थीगण को संयुक्त कब्जा काश्त की उक्त आराजी का बंटवाड़ा करवाना था, इसलिए अपीलार्थीगण ने बंटवाड़ा से संबंधित कार्यवाही करने हेतु राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 18.06.2018 को प्राप्त की, तो ज्ञात हुआ कि उक्त कृषि भूमियों में से खेत खसरा संख्या 227 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा वाली भूमि पर रेस्पो0 संख्या 01 मूलाराम व खेत खसरा संख्या 69 रकबा 94 बीघा 12 बिस्वा वाली भूमि के 1/2 हिस्से पर रेस्पो0 संख्या 2 डूंगरराम का नाम दर्ज है। इस पर अपीलार्थीगण ने हल्का पटवारी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उन्होनें रिकॉर्ड की जांच कर बताया कि उक्त भूमियों का नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 29.09.1972 को बंटवाड़ा होने के आधार पर तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 31.03.1972 के अनुसार रेस्पो0 संख्या 01 मूलाराम व रेस्पो0 संख्या 02 डूंगरराम के नाम स्वीकृत हो चुका है जबकि स्व0 लाबूराम के उनके अलावा अपीलार्थीगण भी प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान् है। अपीलार्थीगण ने उक्त विधि विरूद्ध नामान्तरकरण से व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

4. पूर्व में अपीलार्थी संख्या 01 अमराराम व रेस्पो0 संख्या 01 व 02 द्वारा दिनांक 09.07.2018 को राजीनामा पेश कर अपील का जरिये राजीनामा निस्तारण करने का निवेदन किया लेकिन अपील के साथ सलंग्न जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या 69 रकबा 94 बीघा 12 बिस्वा ग्राम विष्णु की ढाणी की भूमि रहन डूंगरराम पुत्र बुधाराम का हिस्सा एसबीआई बैक लूणी में रहन दर्ज होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सका। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 17.07.2023 को भारतीय स्टेट बैक लूणी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

द्वारा ज़ारी "No dues certificate in name of MR. DUNGAR RAM" के नाम जारी पेश किया गया।

5. अपील के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 01 मूलाराम का दिनांक 27.08.2022 को देहान्त हो गया जिस पर अपीलार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया गया। दिनांक 23.07.2025 को मृतक मूलाराम के वारिसानों की ओर से अधिवक्ता श्री अभिजीत शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा उनके द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं की गई। उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकर किया जाकर मृतक मूलाराम के वारिसानों को रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/5 संयोजित किया गया।

6. उभयपक्षकारान् द्वारा दिनांक 23.09.2025 को संशोधित अपील शीर्षक व राजीनामा पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने बतलाया कि अपीलार्थीगण व रेस्पो0 संख्या 01 मूलाराम व रेस्पो0 संख्या 02 डूंगरराम द्वारा पूर्व में राजीनामा पेश कर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त कर स्व0 लाबूजी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसानों के नाम स्वीकृत किया जाने का निवेदन किया गया था। अपील के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 01 मूलाराम का देहान्त हो गया तथा उनके वारिसानों ने भी लोक अदालत की भावना से राजीनामा होने से अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर स्व0 लाबूजी के प्रथम श्रेणी के वारिसानों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने के लिए सहमति दी।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थीगण ने धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.06.2018 को हुई जब उनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई। उक्त कथन का अप्रार्थीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया और न ही कोई लिखित जवाब पेश किया गया। न्यायहित में अपीलार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

8. अपील का गुणावगुण पर निस्तारण इस प्रकार से किया जा रहा है कि उभयपक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने की प्रार्थना की।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

न्यायहित में राजीनामा स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 29.09.1972 जो तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया जाकर ग्राम धांधिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खेत खसरा संख्या 227 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा एवं खेत खसरा संख्या 69 रकबा 94 बीघा 12 बिस्वा का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम बंटवाड़ा के आधार पर भरा गया, को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार लूणी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्व0 लाबूजी के प्रथम श्रेणी के वारिसानों के नाम नामान्तरकरण की नियमानुसार कार्यवाही करे।

9. प्रकरण में लम्बित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) को तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

10. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर

अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर